न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज॰)
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 151/2007 दिनांक– 14.12.2007

1. कुरडाराम पुत्र बालूराम
2. लक्ष्मी देवी पत्नी बेवा बालूराम
3. बोदूराम पुत्र नाराणाराम
4. फूलाराम पुत्र नाराणाराम
5. बनाराम पुत्र लिछमण राम
6. माली देवी बेवा लिछमणराम
7. सीताराम पुत्र प्रभात
8. बिड़दी देवी बेवा प्रभात
9. नाथी देवी बेवा मंगलाराम
10. ग्यारसीलाल पुत्र मंगलाराम
11. छोटूराम पुत्र मंगलाराम
12. राजू पुत्र नन्दाराम
13. हरिराम पुत्र नन्दाराम
14. घोटी देवी बेवा नन्दाराम
15. किशोर पुत्र जैसाराम
16. बरजी देवी पत्नी जैसाराम
17. मांगूराम पुत्र गुल्लाराम
18. जमनाराम पुत्र गुल्लाराम

समस्तगण जाति गुर्जर निवासीगण ढाणी खुद की तन गोठडा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. श्रवणी पुत्री भोलाराम स्त्री दानाराम जाति गुर्जर निवासी देवीपुरा तन चिराना तहसील नवलगढ।
1/2 श्योपाली पुत्री भोलाराम स्त्री मगजी जाति गुर्जर निवासी केशरीपुरा बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी।
2. भागूराम पुत्र कानाराम
3. गणपत पुत्र भोलाराम
4. रामेश्वर पुत्र भोलाराम

जाति गुर्जर निवासीगण ढाणी खुद की तन गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

5/1 मु0 मंगली देवी बेवा शिवपाल
5/2 रामावतार पुत्र शिवपाल
5/3 भरत सिंह पुत्र शिवपाल

जाति गुर्जर निवासीगण गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

5/4 मंजू देवी पुत्री शिवपाल पत्नी देवकरण जाति गुर्जर निवासी धावडा की ढाणी तन गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी

6. जग्गू पुत्र लादूराम
7. मंगतू पुत्र हणमान
8. शिशपाल पुत्र बालूराम
9. छोटूराम पुत्र बालूराम

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:28 IST
Reason: SelfAttested

10. हरफूल पुत्र जैसाराम
11. पेपाराम पुत्र जैसाराम
12. सुलतान पुत्र जैसाराम
    जाति सम्मत गुर्जर निवासीगण ढाणी खुद की तन गोठड़ा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
13. सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
14. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी – श्री अमर सिंह शेखावत
वकील प्रति. नं. 1 से 7– श्री विनोद सिंह शेखावत

दावा
अन्तर्गत धारा 88, 92(ए), 53 राज.काश्त.अधि.1955

निर्णय तिथि 05.04.2021

निर्णय

वादीगण द्वारा वाद–पत्र इस कदर पेश किया कि वाके ग्राम गोठड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1010 गैर मुमकीन कुआ (कोठी) सुजान सिंह वाली के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें नाथू, गुल्ला पुत्र गाडा हिस्सा 1/2, नारायण पुत्र मोती हिस्सा 1/4, भोलू पुत्र काना हिस्सा 1/4 कौम गुर्जर की खातेदारी की है, जिसके पूर्व खसरा नम्बर 726 रकबा 3 विश्वा है, उक्त कोठी जागीरदारी प्रथा के समय से ही बनी हुई है, इसलिये इसका नाम अलमशुहर सुजानसिंह वाली कोठी के नाम से जानी जाती है, तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 24–10–1978 को चाह प्रमाण–पत्र इसी प्रकार जारी किया गया था, उक्त हिस्से अनुसार चाह पर काविज है तथा विद्युत पम्पिंग सैट से पूर्व व बाद सभी काश्तकार उक्त चाह से सिंचाई करते आ रहे है, उक्त चाह में चार हिस्से है, जिसमें एक हिस्सा स्वर्गी बालूराम, झूंथाराम पुत्रान नाथूराम व एक हिस्सा गुल्ला पुत्र गाडाराम, एक हिस्सा भोलाराम पुत्र कानाराम, इसमें भोलाराम के हिस्से में भोलाराम का छोटा भाई भागूराम भी सम्मिलित है, भोलाराम का देहान्त हो गया है, जिसके वारिसान प्रतिवादीगण तथा नारायणराम के 1/4 हिस्से में उसके वारिसान व भाई मंगलाराम शामिल है परन्तु राजस्व रिकार्ड में इनका नाम नही है, परन्तु उक्त चाह में उनका हित नियत है, इसलिये इनको वादीगण बनाया गया है। झूंथा पुत्र नाथू के कोई वारिस नहीं होने से उसके हिस्से का बालूराम वारिस है, वादीगण तथा प्रतिवादीगण नम्बर 01 लगायत 12 इन्ही चारो हिस्दारों के वारिस है।

भूमि खसरा नम्बर 1010 गैर मुमकीन कुआ से भूमि खसरा नम्बर 1008 लगायत 1011 व 1021 लगायत 1023 व 1084, 1085 कुल किता 9 तादादी 4.16 हैक्टर ग्राम गोठड़ा में अवस्थित है। उक्त चाह पर चाह प्रमाण पत्र दिनांक 24–10–1978 के आधार पर वादीगण ने विद्युत पत्रावली जमा करवाने हेतु भोलाराम पुत्र कानाराम को परिवार का बड़ा होने व कर्ता खानदान होने के कारण से पत्रावली जमा करवाने हेतु भेजा तथा उसने पत्रावली जमा करवाई, विद्युत मोटर विद्युत कनेक्शन का सभी पक्षकारान यानि वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 12 अपने–अपने हिस्से अनुसार खर्चा वहन किया तथा विद्युत उपभोग का भी खर्चा अदा करते आ रहे है तथा उक्त चाह पर विद्युत कनेक्शन से सिंचाई कर उपयोग, उपभोग करते आ रहे है, इसके लिये वादीगण ने नन्दूसिंह शेखावत को मध्यस्थ कर आगे कर रखा था और इन्होने ही शामलाती में कनेक्शन करवाया और शामलाती में ही सम्पूर्ण विद्युत कनेक्शन का सामान खरीदा व शामलाती में ही सारा खर्चा अदा किया लगभग 32 वर्ष से शामलाती रूप से शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग विद्युत का कर अपने–अपने हिस्सों में सिंचाई करते आ रहे है, भूमि शामलाती व चाह शामलाती खाते की है, शामलाती ही विद्युत कनेक्शन है, जिसका खाता संख्या 53/1/105 वर्तमान संख्या 58 सेवा क्रमांक 2009/480/ 10एच.पी. की मोटर है। वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 12 को 3/4 हिस्से का विद्युत कनेक्शन में हिस्सेदार घोषित किया जावे। उक्त पुराने चाह में काफी मात्रा में पानी है, जिसकों रिपोर्ट भी दिनांक 26.06.2007 तहसीलदार नवलगढ की मौका रिपोर्ट है।

आपसी विश्वास कर्ता खानदान होने से भोलाराम पुत्र काना राम को आगे किया तथा उसी के द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही की गई, कभी आपस में अविश्वास नही था, इसलिये अविश्वास का कोई कारण नही था, विद्युत

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:28 IST
Reason: SelfAttested

कनेक्शन का बिल किस के नाम आ रहा है था, कभी भी इस तरफ ध्यान नही दिया, विधुत उपभोग अपने-अपने हिस्से का इकट्ठा कर बिल की राशि जमा करते आ रहे थे और अपने-अपने हिस्सों की हिस्से अनुसार सिंचाई कर परिवार का जीविकापार्जन करते आ रहे है, सिंचाई व विधुत कनेक्शन में वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 01 लगायत 12 का शामलाती हिस्सा है।

प्रतिवादीगण नम्बर 01 लगायत 7 की मंशा में फर्क आ गया, वादीगण को व प्रतिवादीगण नम्बर 08 लगायत 12 को उनके अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से नया समरसिबल बोरिंग करवाकर बाला-बाला शामलाती चाह की शामलाती विधुत कनेक्शन को शिफ्ट करवाने की कार्यवाही करने लगे, जिसका पता चलने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण नम्बर 01 लगायत 7 को ऐसा करने से मना किया तव उन्होने कहां कि विधुत कनेक्शन हमारे नाम से है, हम इसको सिर्फ करवायेगे, शामलाती चाह में विधुत कनेक्शन शामलाती मे ही विधुत विभाग से प्राप्त किया था व शामलाती में ही उपभोग का बिल अदा करते आ रहे हैं, चाह प्रमाण पत्र भी शामलाती है, विधुत विभाग को शामलाती मे ही विधुत कनेक्शन जारी करना चाहिये था परन्तु गलती से अकेले भोलाराम पुत्र कानाराम के नाम से जारी कर दिया, बिना सहकाश्तकार की सहमति से विधुत विभाग को अकेले के नाम से कनेक्शन जारी नही करना चाहिये था, उक्त गलती का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 7 ने प्रतिवादी नम्बर 13 से साज कर विधुत कनेक्शन को शिफ्ट करवाने पर आमादा है। अगर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 अपनी मंशा में सफल हो गया तो वादीगण को सख्त हकतलफी होगी तथा अपने वैध अधिकारों से वंचित होगे, इसलिये अपने अधिकारों की रक्षार्थ हेतु दावा स्थाई निषेधाज्ञा विभाजन का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

वादीगण व प्रतिवादीगण का शामलाती रूप से राजस्व रिकार्ड है, आपसी सुविधा से भूमि का मौके पर विभाजन कर रखा है, विभाजन अनुसार ही कब्जा काश्त है, इसलिये विधिवत विभाजन कब्जा काश्त अनुसार किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे ताकि भविष्य में कोई विवाद नही हो।

प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की बिना सहमति के बाला-बाला विधुत विभाग अलमशहुर सुजान सिंह की कोठी (चाह) का विधुत कनेक्शन शिफ्ट कराने की पत्रावली जमा करवाने तथा वादीगण के 3/4 हिस्से को नकारे तथा विवाद कर विधुत कनेक्शन का उपयोग उपभोग का बिल नही जमा कराकर विधुत उपभोग से वंचित करने के रोज अदालत हाजा में उत्पन्न हुआ।

प्रतिवादी नम्बर 13 द्वारा दिनांक 12-12-2007 को ग्राम गोठड़ा में जाने व प्रतिवादीगण नम्बर 01 लगायत 07 से साज कर विधुत कनेक्शन शिफ्ट करने की धमकी देन तथा वादीगण को अपने अधिकारो से वंचित करने के कारण अदालत हाजा में वादकारण पैदा हुआ।

प्रतिवादीगण अगर अपनी नाजायज मंशा में सफल हो गये तो वादीगण का वाद करना ही व्यर्थ हो जायेगा साथ ही साथ अपने वैद्य अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा साथ ही व्यर्थ की मुददमें बाजी में फसना होगा, जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से संभव नही है तथा मानसिक परेशानी अलग से उठानी पड़ेगी, इसलिये प्रतिवादी नम्बर 13 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण नम्बर 01 लगायत 7 के द्वारा जमा करवाई शिफ्ट पत्रावली पर विधुत कनेक्शन अन्यत्र स्थापित नही करे, न ही अपने अधिनस्थ कर्मचारी से ऐसा करवाये, शामलाती कनेक्शन को यथावत रहने देवे, शांतिपूर्वक उपयोग, उपभोग करने देवे, सिंचाई में किसी भी प्रकार की बाधा न तो स्वयं डाले ना ही अन्य से डलवाये। प्रतिवादी नम्बर 14 राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि है, राजस्थान सरकार भूमिधारक है, इसलिये आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है ताकि पक्षकार का नुक्सनही रह जावे।

वादीगण द्वारा वाद-पत्र पेश कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि वाद वादीगण बहक खिलाफ प्रतिवादीगण इस उमर की घोषणा की डिक्री फरमाई जावे कि विवादित विधुत कनेक्शन सेवा क्रमांक 209480 (ओ.एण्ड एम.) वर्तमान खातासंख्या 24100058 उसके पहले और पुराने खाता संख्या 53/1/105 स्थित सरहद ग्राम गोठडा तहसील नवलगढ जो प्रतिवादी नम्बर 13 के कार्यालय से प्रतिवादी नम्बर 01 के नाम से बिलिंग होता है उसमें व चाह खसरा नम्बर 1010 स्थित सरहद ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ में लगी विधुत मीटर की अब

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:28 IST
Reason: SelfAttested

तक सरे के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 01 लगायत 12 उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है, उसी प्रकार आगे भी उपयोग व उपभोग में लेने दिया जावे, इस कार्य में बाधा ना तो प्रतिवादीगण नम्बर 01 लगायत 7 स्वयं पैदा करे, ना ही अपने घर के अन्य आदमियों, संबंधियों, नौकर चाकर वगैरह से ही बाधा डलवाये, तथा विवादित विधुत कनेक्शन को नये समर्सिबल में शिफ्ट नही करवाये तथा ना ही प्रतिवादी नम्बर 13 ही करे ना ही अपने अधिनस्थ कर्मचारी से ऐसा करावे। मौके की स्थिति पर किसी प्रकार का परिवर्तन न तो स्वयं करे तथा न ही अपने अधिनस्थ से करावे।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 07 की ओर से वकील श्री विनोद कुमार शेखावत ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 12 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से राज पैरोकार उपस्थित होकर कथन किया कि प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होने से जवाब प्रस्तुत नही करना जाहिर करने पर जवाब प्रतिवादी संख्या 14 बंद किया गया। प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 07 की ओर से जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद–पत्र की धारा 01 में ग्राम गोठडा की सरहद में चाह, चाह पर विधुत सम्बन्ध व भूमि होना स्वीकार कर शेष कथन ज्ञान के अभाव में व जानकारी न होने से अस्वीकार है। वंशावली भी गलत दर्शायी गयी है, जवाबदेहन्दा स्वर्गीय कानाराम के वारिसान है, कानाराम के सभी वारिसान को ना तो कानाराम की वंशावली में दर्ज किया है व ना ही वाद–पत्र में कानाराम के सभी वारिसान को पक्षकार बनाया है व ना ही विवादित भूमि के सह काश्तकार व सह हिस्सेदारी को वाद पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है, विवादित भूमि के सभी सह काश्तकार व सहभागियों के वाद पत्र में पक्षकार बनाये जाने के अभाव में कानून व विधि सम्वत् निर्णय व डिक्री पारित नही की जा सकती इस कारण वाद–पत्र विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे। वाद–पत्र में दर्ज वंशावली वादीगण ने बदनियति से गलत दर्शायी है। सही तथ्य यह है कि कानाराम के वारिसान ने ही अपना खर्च अदा करके अपने हिस्से की भूमि में पूर्व से बनेच ाह में विधुत कनेक्शन लिया था जो कानाराम के सभी वारिसान ने अपने हिस्से व हक अधिकार के अनुसार विधुत कनेक्शन लिया है स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणार्थ के वाद में विवादित भूमि के सभी काश्तकार व सह काश्तकार क अभाव में वाद पत्र खारिज होने योग्य है। कानाराम के दो वारिसान भोलाराम व भागूराम है जिसमें भोलाराम फौत हो गया भोलाराम के वारिसान में लादूराम भी फौत हो गया है, स्वर्गीय लादूराम के पांच वारिसान श्योपाल, जग्गू डूंगाराम बन्नाराम व सुवटी देवी है, जिसमें से वादीगण ने श्योपाल जो प्रतिवादी नम्बर 5 व जग्गू को प्रतिवादी नम्बर 06 को ही वाद–पत्र में पक्षकार बनाया गया है, डूंगाराम बन्नाराम व सुवटी देवी को वाद पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है, इसलिए पक्षकार के अभाव में दावा अन्तर्गत धारा 53 (3ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खारीज होने योग्य है।

वाद पत्र की धारा 2 गलत होने व मनगढ़ंत होने से अलावा केवल खसरा नम्बर 1008 लगायत 1011, 1021, 1022 व 1023, 1084, 1085 कुल रकबा 4.16 हैक्टर भूमि स्थित होना व खसरा नम्बर 1010 मे चाह स्थित व उस पर विधुत कनेक्शन होना स्वीकार है बाकी धारा 2 में वर्णित कथन अस्वीकार है। खसरा नम्बर 1010 में बने चाह व उस चाह में लगे विधुत सम्बन्ध में केवल कानाराम के वारिसान जवाब देहन्दा प्रतिवादीगण का ही हक व हिस्सा है विवादित विधुत कनेक्शन जवाबदेहन्दा के पिता व दादा स्वर्गीय भोलाराम के नाम से है, विधुत कनेक्शन व बिजली के उपकरणों पर जवाबदेहन्दागण के पूर्वज भोलाराम का अकेले का खर्चा लगा हुआ है इसी के नाम से विधुत सम्बन्ध है, जब से विधुत सम्बन्ध चाह पर लगा है तब से आज तक स्वर्गीय भोलाराम के वारिसान के ही उपयोग व उपभोग में आता रहा है जवाबदेहन्दागण अकेले ही चाह पर लगे विधुत सम्बन्ध के बिल व अन्य रख रखाव का खर्चा अकेले ही वहन करते है यह सही तथ्य है कि वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड जवाबदेहन्दागण प्रतिवादीगण/प्रतिवादीण व वादीगण व अन्य सह काश्तकार जिनका राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नही है का शामलाती दर्ज है लेकिन जवाबदेहन्दागण व अन्य सह काश्तकारों ने अपने हिस्से व हक व अधिकारों के अनुसार आपसी सहमति, काश्त की सहुलियत से अलग–अलग बंटवारा कर रखा है सम्पूर्ण भूमि में कानाराम के वारिसान का 1/4 हिस्सा है, तथा 3/4 हिस्सा अन्य सह काश्तकारों का है इसी

ए.सी.जे.एम. (क.छ.)
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार से खसरा नम्बर 1010 में बनेच ाह में जवाबदेहन्दागण जो स्वर्गीय कानाराम के वारिसान का 1/4 हिस्सा है व अन्य सह काश्तकार का 3/4 हिस्सा है वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि व चाह के सम्बन्धम कोई विवाद नही है। क्योकि चाह के विधुत सम्बन्ध में अकेले कानाराम में वारिसान जवाब देहन्दागण का ही हक व हिस्सा है, अन्य सहकाश्तकारों का चाह में लगे विधुत सम्बन्ध में कोई हक व हिस्सा नही है जवाबदेहन्दागण प्रतिवादीगण के स्वर्गीय पिता व दादा ने अकेले ने स्वयं के रूपये खर्च करके विधुत विभाग में पत्रावली जमा करवाकर जवाबदेहन्दागण के पूर्वज ने अपने नाम से विधुत विभाग में सन् 1980 में पत्रावली जमा करवाकर सन् 1980 में विधुत सम्बन्ध लिया था, चाह की मोटर, गुमटी पाईप केबल के समस्त खर्चा जो भी लगा तमाम खर्चा जवाबदेहन्दागण के पूर्वज स्वर्गीय भोलाराम ने व जवाबदेहन्दागण ने अदा किया था विधुत विभाग में जमा करवाये बिल व अन्य खर्चे के बिल जवाबदेहन्दागण के पास मौजुद है। अन्य सह काश्तकारो ने चाह में लगे विधुत सम्बन्ध में कभी भी खर्चा व बिल अदा नही किया है विधुत सम्बन्ध मे अन्य किसी का सीर सांझा नही है अन्य सह काश्तकार व वादीगण कभी–कभ जवाबदेहन्दागण की परमिशन से जवाबदेहन्दागण से सिंचाई का पानी लेकर अन्य सह काश्तकार अपने खेत में सिचांई करते थे, जबकि जवाबदेहन्दागण के अलावा चाह में लगे विधुत सम्बन्ध में किसी का सीर व सांझा नही है विवादित चाह पर लगे विधुत सम्बन्ध में वादीगण का कोई हक व हिस्सा नही है वादीगण का दावा वेग मनगढन्त व बेबुनियाद होने से खारीज होने योग्य है।

वाद–पत्र की धारा 3 मनगढंत, बेबुनियाद व झूठे तथ्य के आधार पर मनगंढत होने से अस्वीकार है। सही तथ्य का जवाब जवाबदावा की धारा 2 में विस्तार से जवाबदेहन्दागण द्वारा वर्णित किया जा चुका है। वाद पत्र की धारा 4 अलावा चाह मय विधुत कनेक्शन जवाब देहन्दागण के पूर्वज स्वर्गीय भोलाराम के नाम से होने के अलावा अस्वीकार है। जवाबदेहन्दागण के अलावा अन्य सभी सह काश्तकार चतुर व बेईमान है जो राई को पहाड बनाकर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों पर कुठाराघात कर अपने स्वार्थ की पिपासा को **शांत** करते है। अलावा कोई काम का नही हैसही तथ्य यह है कि शामलाती चाह खसरा नम्बर 1010 ने बने चाह में जवाबदेहन्दागण का 1/4 हिस्सा है अगर अन्य सभी सहकाश्तकारों की सहमति से खसरा नम्बर 1010 में बने चाह लगे विधुत सम्बन्ध में जवाबदेहन्दागण के अलावा अन्य किसी सह काश्तकार का कोई सीर सांझा नही है। चाह में लगे विधुत सम्बन्ध अकेले जवाबदेहन्दागण का ही है जब अन्य सह काश्तकार व वादीगण का विवादित चाह में लगे विधुत सम्बन्ध में कोई सीर व सांझा ही नही है तो वादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। घोषणार्थ के वाद में विवादित भूमि व चाह के सभी रिकार्डेड खातेदार व सभी सह भागियों को पक्षकार बनाये बिना घोषणार्थ के वाद में पक्षकार के अभाव में प्रभावशाली डिक्री पारित नही की जा सकती।

वाद पत्र की धारा 5 अलावा चाह पर लगे विधुत सम्बन्ध के अलावा स्वीकार है। खसरा नम्बर 1010 में बने चाह पर विधुत सम्बन्ध जवाबदेहन्दागण को अकेलो का है जिसमें अन्य किसी का सीर सांझा नही है। वाद पत्र की धारा 6 अस्वीकार है। चाह पर लगे विधुत सम्बन्ध से वादीगण का कोई लेना देना नही है चाह खसरा नम्बर 1010 पर लगे विधुत सम्बन्ध का हक व अधिकार सिर्फ जवाबदेहन्दागण का है अन्य किसी सह काश्तकार का कोई हक व हिस्सा नही है। वाद पत्र की धारा 7 अस्वीकार है जब चाह पर विधुत कनेक्शन जवाबदेहन्दागण के पूर्वज के नाम से कदीम से चला आ रहा है व विधुत सम्बन्ध का समस्त खर्चा जवाबदेहन्दागण व उसके पूर्वज स्वर्गीय भोलाराम ने अदा किया है तो वादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। वाद–पत्र की धारा 8 बेबुनियाद व मनगंढन्त होने से अस्वीकार है खसरा नम्बर 1010 में बने चाह में लगे विधुत सम्बन्ध में जवाबदेहन्दागण के अलावा अन्य किसी का सीर व सांझा नही है तो वादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है व जब वादीगण के अधिकारों पर कोई कुठाराघात होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है तो वादीगण को कोई अपूर्णीय नुकसान होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। वाद–पत्र की धारा 9, 10, 11 12 कानूनी होने से स्वीकार है तथा वाद पत्र की धारा 13 में अंकित तथ्य जिस प्रकार से दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

ए. सी. ई. एस. (फा. ट्रे.)
नजलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:28 IST
Reason: SelfAttested

जवाब दावे के अतिरिक्त उत्तर पेश कर कथन किया कि उक्त चाह की नाल में स्वर्गीय कानाराम के वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 1/1, 1/2 व 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, व 7 का 1/4 हिस्सा है एवं 3/4 हिस्सा वादीगण व अन्य हिस्सेदारों का है, इसी प्रकार से भूमि है, लेकिन चाह खसरा नम्बर 1010 में लगे विधुत सम्बन्ध में वादीगण व अन्य सहकाश्तकारों का कोई हक हिस्सा नही है। चाह में लगे विधुत सम्बन्ध में सिद्ध जवाबदेहन्दागण प्रतिवादीगण नम्बर 1/1, 1/2 व 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 7 अकेले का हिस्सा है, विधुत सम्बन्ध लिया तब खर्चा लगा वह भी अकेले भोलाराम का ही लगा था तथा कुये का आज तक विधुत खर्चा व मरम्मत खर्चा आदि भी जवाबदेहन्दागण प्रतिवादीगण 1/1, 1/2 व 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3व 5/4, 6, 7 के पिता व भाई व दादा भोलाराम ने ही वाहन किया है, वादीगण ने यह साफ मना कर दिया था कि न तो विधुत सम्बन्ध में जो खर्चा लगेगा उसमें हम कोई हिस्सा देगे और न ही चाह से पानी लेंगे, तब जवाबदेहन्दा प्रतिवादीगण नम्बर 1/1, 1/2, व 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 7 के पिता व भाई भोलाराम ने रूपये खर्च करके विधुत सम्बन्ध लिया था एवं विधुत बिल अदा किये हुये जबवादेहन्दागण के पास मौजुद है तब से उसका उपयोग, उपभोग करते आ रहे है और अपनी फसल काश्त करके अपनी व अपने परिवार की आजीविका चलाते है, वादीगण चालाक बदमाश प्रवृति के व्यक्ति है, जो न्यायालय से सही तथ्य छुपाकर उक्त गलत प्रार्थना पत्र/वाद पेश किया है।

जवाबदेहन्दागण ने चाह खसरा नम्बर 1010 में पानी सूख जाने से 60–70 हजार रूपये खर्च करके सबमर्सिबल ट्यूबवैल बनवाया है, जिसके उपयोग, उपभोग दे लिये पुराने चाह से विधुत सम्बन्ध हटाकर नये चाह पर विधुत सम्बन्ध शिफट करवाना चाहते है, जिसको खर्चा भी जबवादेहन्दागण ने प्रतिवादी नम्बर 13 के कार्यालय में जमा करवा दिया है, जिसकी तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, केवल शिपिटंग कार्य ही बाकी है, पुराना चाह में पानी काफी नीचे चले जाने से सुख गया है, जिससे विधुत मोटर नही चल पाती है, जिसकी विशेषज्ञ से जांच करवाई, जिसमें चाह में पानी सुख जाने की रिपोर्ट दर्ज है, जवादेहन्दागण के पास पानी पीने का व आजीविका चलाने का अन्य कोई साधन नही है, इसलिये जवाबदेहन्दागण को पाबन्द किया जाना न्यायहित में उचित नही है, जवाबदेहन्दागण विधुत विभाग के नियमानुसार विधुत संबंध शिफट करवाना चाहता है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा सहित खारीज फरमाया जाने की कृपा की जावे।

प्रतिवादी नम्बर 13 द्वारा बिन्दुवार जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद–पत्र की धारा 1 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। विपक्षी के कार्यालय से भोलाराम पुत्र काना राम गुर्जर के ना से कृषि विधुत कनेक्शन लिया हुआ है।

वाद–पत्र की धारा 2 जिस प्रकार से दर्ज है स्वीकार नही है। विधुत कनेक्शन विपक्षी के कार्यालय में भोलाराम कानाराम गुर्जर द्वारा पत्रावली जमा करवाने पर इसी नाम से लिया गया था अन्य बाते जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

वाद पत्र की धारा 3 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। वादी पत्र की धारा 4 जिस प्रकार से दर्ज है स्वीकार नही है। विपक्षी के कार्यालय में भोलाराम पुत्र कानाराम जाति गुर्जर के नाम से कृषि विधुत कनेक्शन पत्रावली जमा करवायी गयी थी एवं उसी नाम से विधुत कनेक्शन जारी किया गया था। जो कि सही नियमानुसार जारी किया गया था। वाद पत्र की धारा 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

वाद–पत्र की धारा 6 गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण का उक्त विधुत कनेक्शन में नाम नही होने से उनकी सहमति की निगम नियमानुसार आवश्यकता नही है। उपभोक्ता द्वारा विधुत बिल का भुगतान समय पर किया जा रहा है।

वाद–पत्र की धारा 7 गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण द्वारा पूर्व में भी इस बाबत माननीय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) नवलगढ में वाद संख्या 16/2007 पेश किया गया था जो अभी लम्बित चल रहा है। वाद पत्र की धारा 8 गलत होने से अस्वीकार है तथा धारा 9 विपक्षी से सम्बन्धित नही है। धारा 10 से 12 कानूनी होना स्वीकार किया है।

ए.सी.ई.एम. (फा.डे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:28 IST
Reason: SelfAttested

वाद–पत्र की धारा 13 में प्रतिवादी नम्बर 13 के कार्यालय में भोलाराम पुत्र कानाराम गुर्जर के नाम से कृषि विधुत कनेक्शन पत्रावली जमा करवायी गयी थी तथा उक्त व्यक्ति इस कार्यालय का उपभोक्ता है। अतः निगम नियमानुसार उक्त व्यक्ति कृषि विधुत कनेक्शन में किसी प्रकार की फेरबदल करने का अधिकारी है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जबाब दावा प्रस्तुत होने पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया विवादित भूमि ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ में स्थित चाह खसरा नम्बर 1010 है जिसमें वादीगण 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का शामिल में 1/4 हिस्सा है। वादी नम्बर 3 लगायत 14 का शामिल में 1/4 हिस्सा है, वादीगण नम्बर 15 लगायत 18 व प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 का शामिल में 1/4 हिस्सा है। इसी अनुसार विधुत कनेक्शन व बिल में नाम अंकन कराने के अधिकारी है।

–भा.स.वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पावन्द कराने के अधिकारी है।

–भा.स.वादीगण

3. आया वादीगण विवादित भूमि का विभाजन विधिवत मौका रिपोर्ट के अनुसार करवाने एवं खाता अलग–अलग कायम कराने के अधिकारी है।

–भा.स.वादीगण

4. आया निगम कार्यालय में भोलाराम पुत्र कानाराम गुर्जर के नाम से कृषि विधुत कनेक्शन पत्रावली जमा करवायी गयी थी एवं उसी नाम से विधुत कनेक्शन जारी किया गया था जो सही नियमानुसार जारी किया गया है।

–भा.स.प्रतिवादी नं. 13

5. आया वादी द्वारा वाद में वंशावली गलत दर्शायी गयी है। कानाराम के सभी वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है, विवादित भूमि के सभी सहकाश्तकार व सहभागियों पक्षकार बनाये जाने के अभाव में वाद–पत्र विधि विरूद्ध होने से खारीज होने योग्य है। विधुत कनेक्शन व बिजली के उपकरणों पर पूर्वज भोलाराम का अकेले का खर्चा लगा हुआ है। आपसी सहमती बाबत की सहुलियत से अलग–अलग बंटवारा कर रखा है। वादीगण का दावा वेग मनगढ़त व बेबुनियाद होने से खारीज होने योग्य है।

–भा.स.प्रतिवादी नं. 1 से 7

6. आया वादीगण माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

–भा.स.प्रतिवादी नं. 1 से 7

7. दादरसी

वाद कायम तनकीयात के शहादत वादी में कुरड़ाराम व बोदूराम तथा गवाह उदयसिंह तथा शिवराज सिह चीफ के शपथ पत्र पेश किये वादी एवं गवाहान् को परीक्षित कराये। पत्रावली में दस्तावेजात प्रदर्शित नही है। शहादत प्रतिवादी के रूप में भगत सिंह एवं भागूराम के चीफ के शपथ पत्र पेश किये गये जो शामिल मिसल है। साक्ष्य प्रतिवादी में भी प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य दस्तावेजी प्रदर्शित नही कराये गये है।

शहादत पक्षकारान ली जाकर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस में वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू 2007 पेज नं. 145, न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1997 पेज नंबर 398 व न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1967 पेज नम्बर 367 पेश किया। न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। विद्वान वकील वादी की नजीर/दलील इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व बहस पर मनन करते हुये निर्णय तनकीयात विवेचन निम्नानुसार हैः–

1. **तनकी नम्बर 1 :–** आया विवादित भूमि ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ़ में स्थित चाह खसरा नम्बर 1010 है जिसमें वादीगण 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का शामिल में 1/4 हिस्सा है। वादी नम्बर 3 लगायत 14 का शामिल में 1/4 हिस्सा है, वादीगण नम्बर 15 लगायत 18 व प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 का शामिल में 1/4 हिस्सा है। इसी अनुसार विधुत कनेक्शन व बिल में नाम अंकन कराने के अधिकारी है।

ए.सी.ई.एम.(भा.दे.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:28 IST
Reason: SelfAttested

—भा.स.वादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण वाद–पत्र के माध्यम से विवादित भूमि ग्राम गोठड़ा में स्थित चाह खसरा नम्बर 1010 में बना है, जिसके वादीगण नम्बर 1 व 2 व प्रतिवादीगण नम्बर 08 व 09 का शामिल में 1/4 हिस्सा वादी नम्बर 3 लगायत 14 का 1/4 हिस्सा तथा वादीगण नम्बर 15 लगायत 18 व प्रतिवादीगण 10 लगायत 12 शामिल में 1/4 हिस्सा होना कथन करके आये है तथा विधुत कनेक्शन व बिल में उक्त हिस्से अनुसार अंकन करवाने के लिए घोषणा की इश्तदुआ चाही है, जबकि प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 7 ने विधुत कनेक्शन में वादीगण अथवा अन्य का हिस्सा होने से इन्कार किया है तथा विधुत कनेक्शन मात्र भोलाराम का होना दर्ज किया है जहां तक प्रतिवादी संख्या 13 ने भी विधुत कनेक्शन भोलाराम का होना ही अपने जवाब में दर्ज किया तथा स्वयं निगम नियमानुसार उक्त व्यक्ति के कृषि विधुत कनेक्शन में किसी प्रकार की फेरबदल करने से इन्कार किया है। वादीगण ने उक्त तनकी को साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। ना ही मौखिक साक्ष्य के समय किसी भी दस्तावेज को प्रदर्शित करवाया है। विधि के अनुसार मौखिक साक्ष्य के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदत्त नही किये जा सकते है। वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में उक्त तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। फलस्वरूप उक्त तनकी वादीगण विरूद्ध तय की जाती है।

2. **तनकी नम्बर 02 :–** आया वादीगण प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

—भा.स.वादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने वाद–पत्र के माध्यम से विवादित विधुत कनेक्शन मय चाह खसरा नम्बर 1010 में लगी विधुत मोटर को सरे के अनुसार उपयोग–उपभोग में लेने का कथन किया है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 7 के विरूद्ध उपयोग उपभोग में बाधा न करने विवादित विधुत कनेक्शन नये समर्सिबल (ट्यूबवैल) मे शिफ्ट नही करने तथा ना ही प्रतिवादी नम्बर 13 को शिफ्ट नही करने की हुक्म इम्तिनाई दवामी से पाबन्द फरमाने की रिलीफ डिमाण्ड की है। साथ ही मोके की स्थिति किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही करने की रिलीफ डिमाण्ड की है। चूंकि विधुत कनेक्शन भोलाराम पुत्र कानाराम के नाम से जारी है जो एक स्वीकृत तथ्य है। प्रतिवादी नम्बर 13 ने भी उक्त तथ्य को स्वीकार किया है। वादीगण अथवा अन्य का भोलाराम के अलावा विधुत कनेक्शन में कोई हक अधिकार दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नही होता है। चूंकि तनकी नम्बर 01 वादीगण के विरूद्ध तय की जा चुकी है। इसलिए वादीगण किसी प्रकार की हुक्म इम्तिनाई दवामी से प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 7 को पाबन्द फरमाने के अधिकारी नही है। इसलिए उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

3. **तनकी नम्बर 03 :–** आया वादीगण विवादित भूमि का विभाजन विधिवत मौका रिपोर्ट के अनुसार करवाने एवं खाता अलग–अलग कायम कराने के अधिकारी है।

—भा.स.वादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार भार वादीगण पर है। वादीगण ने विवादित भूमि का विभान व अलग–अलग खाते कायम करवाने की रिलीफ वाद–पत्र के माध्यम से डिमाण्ड की है। चूंकि प्रत्येक खातेदार को कानून विभाजन करवाने का अधिकार है। जबकि वह अपनी खातेदारी को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर स्थापित करवाये परन्तु वादीगण ने अपनी साक्ष्य में विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख को प्रदर्शित नही करवाया है। साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक जो दस्तावेज प्रदर्शित नही हुआ है उसे साक्ष्य में पढा नही जा सकता है। वादीगण ने स्पष्ट रूप से किसी भी दस्तावेज को साक्ष्य में प्रदर्शित नही करवाया है। इसलिए कानूनन वादीगण विभाजन करवाने के अधिकारी नही है। फलस्वरूप उक्त तनकी भी वादीगा के विरूद्ध तय की जाती है।

4. **तनकी नम्बर 4 :–** आया निगम कार्यालय में भोलाराम पुत्र कानाराम गुर्जर के नाम से कृषि विधुत कनेक्शन पत्रावली जमा करवायी गयी थी एवं उसी नाम से विधुत कनेक्शन जारी किया गया था जो सही नियमानुसार जारी किया गया है।

ए.सी.ई.एम. (फा.डे.)
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:28 IST
Reason: SelfAttested

–भा.स.प्रतिवादी नं. 13

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 13 पर है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी नम्बर 13 पर है हालांकि प्रतिवादी नम्बर 13 साक्ष्य में प्रस्तुत नही हुआ है केवल मात्र जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी नम्बर 13 ने ना ही किसी दस्तावेज को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है, परन्तु वादीगण व प्रतिवादीगण ने वाद–पत्र व जवाब दावे में विधुत कनेक्शन भोलाराम पुत्र कानाराम गुर्जर के नाम से जारी होना स्वीकार किया है। कानूनन स्वीकृत तथ्य को साबित करने की आवश्कता नही है। फलस्वरूप उक्त प्रतिवादी नम्बर 13 के पक्ष में तय की जाती है।

5. **तनकी नम्बर 05** :– आया वादी द्वारा वाद में वंशावली गलत दर्शायी गयी है। कानाराम के सभी वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है, विवादित भूमि के सभी सहकाश्तकार व सहभागियों पक्षकार बनाये जाने के अभाव में वाद–पत्र विधि विरूद्ध होने से खारीज होने योग्य है। विधुत कनेक्शन व बिजली के उपकरणों पर पूर्वज भोलाराम का अकेले का खर्चा लगा हुआ है। आपसी सहमती बाबत की सहुलियत से अलग–अलग बंटवारा कर रखा है। वादीगण का दावा वेग मनगढ़त व बेबुनियाद होने से खारीज होने योग्य है।

–भा.स.प्रतिवादी नं. 1 से 7

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 7 पर है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने उक्त तनकी को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है न ही प्रतिवादी नम्बर 1 से 7 साक्ष्य में परिक्षीत हुऐ है। इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 7 उक्त तनकी साबित करने में असफल रहे है। फलस्वरूप उक्त तनकी प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 7 के विरूद्ध तय की जाती है।

6. **तनकी नम्बर 06** :– आया वादीगण माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

–भा.स.प्रतिवादी नं. 1 से 7

यह है कि उक्त तनकी का नम्बर सहवन से 5 दर्ज कर दिया गया है जबकि उक्त तनकी का नम्बर 6 है। इसलिए उक्त तनकी का नम्बर 6 के आधार पर निस्तारित किया जा रहा है। चूँकि वादीगण तनकी नम्बर 1 लगायत 4 वादीगण के विरूद्ध तय की गई है। इसलिए वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष वाद–पत्र के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी नही है। फलस्वरूप उक्त प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 7 के पक्ष में तय की जाती है।

7. दादरशी

यह है कि उक्त तनकी का नम्बर सहवन से 6 दर्ज कर दिया गया है जबकि उक्त तनकी का नम्बर 7 है। इसलिए उक्त तनकी का नम्बर 7 के आधार पर निस्तारित किया जा रहा है। चूँकि वादीगण वाद–पत्र के माध्यम से किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के अधिकारी नही रहे है ना ही तनकी के आधार पर डाली गई तनकी के भार को साबित करने में सफल रहे है। इसलिए वादीगण किसी प्रकार की दादरशी के अधिकारी नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में असफल रहे है। इसलिए वाद वादीगण खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक **05.04.2021** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:28 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलासा नवलगढ़
दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.), नवलगढ.

दावा
अन्तर्गत धारा 88, 92(ए), 53 राज.काश्त.अधि.1955

मुकदमा सं0:– 151 / 2007 (कुरड़ाराम आदि – बनाम – श्रवण वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दमयंती कंवर (आर.ए.एस.),सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 05.04.2021 निर्णय अनुसार वाद वादीगण खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

जिन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05 माह 04 सन 2021 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ
मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	04.00	स्टाम्प वकालतनामा	4.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	16.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	24.00		4.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:28 IST
Reason: SelfAttested